मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्र. सी. 6-2/98/3/1 भोपाल, दिनांक 8 फरवरी, 1999

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र., ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय :—भ्रष्टाचार के प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध होने पर संबंधित शासकीय सेवक के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही.

सन्दर्भ:—इस विभाग का परिपत्र क्रमांक सी 6-3/77/3/1, दिनांक 15-9-77, क्रमांक सी. 6-2/80/3/1, दिनांक 6-10-80 एवं सी. 6-2/98/3/1, दिनांक 26-5-98.

इस विभाग के संदर्भित परिपत्रों द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के अंतर्गत ये निदेश जारी किये गये थे कि यदि किसी शासकीय सेवक को न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध में दोषी पाये जाने के कराण दण्डित किया गया है, जिससे उस शासकीय सेवक के नैतिक पतन होने का आभास होता हो और उसे शासकीय सेवा में रखना लोकहित में उचित नहीं हो तो, अनुशासनिक प्राधिकारी उपर्युक्त नियम के नियम 19(1) के अन्तर्गत उस शासकीय सेवक पर उचित शास्ति अधिरोपित करने के लिये तुरंत कार्यवाही करे. अर्थात् आपराधिक आरोपों में न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर शासकीय सेवक के विरुद्ध "संक्षिप्त जांच" करने के उपरांत मामले के गुणदोष पर विचार कर उचित शास्ति अधिरोपित करें. इस प्रकार की कार्यवाही करने के लिए इस बात का कोई प्रतिबंध नहीं है कि उस शासकीय सेवक ने अपनी दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील दायर कर दी है इसलिये शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकती.

2. उक्त स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी राज्य सरकार के समक्ष कुछ ऐसे प्रकरण सामने आये हैं जिसमें शासकीय सेवक को न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध पाये जाने पर भी प्रशासकीय विभाग/नियुक्ति/अनुशासनिक प्राधिकारियों ने संबंधित शासकीय सेवक के विरुद्ध त्वरित अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की. भविष्य में इस प्रकार के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही को सुनिश्चित करने के लिये विधि विभाग के परामर्श से समस्त प्रशासकीय विभाग/नियुक्ति प्राधिकारी/अनुशासनिक प्राधिकारियों के मार्गदर्शन के लिये निम्नानुसार निदेश जारी किये जाते हैं:—

(क) सेवारत् शासकीय सेवकों के मामलों में :

1. उक्त श्रेणी के अंतर्गत आने वाले शासकीय सेवक यदि किसी आपराधिक प्रकरण में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध पाये जाते हैं जिसमें उनका नैतिक पतन अंतर्विलित हो तो यह अपेक्षा है कि उसे मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 10 (नौ) में प्रावधानित "सेवा से पदच्युत (dismissal) करने" की शास्ति अधिरोपित की जाना चाहिये.

2. उक्त प्रकार के प्रकरणों में उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 19 सहपठित नियम 14 एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (अ) के अंतर्गत अपचारी शासकीय सेवक के विरुद्ध <u>विस्तृत विभागीय जांच आवश्यक नहीं है.</u> साथ ही, संबंधित शासकीय सेवक को <u>कार्यवाही के पूर्व कोई सूचना देना भी आवश्यक नहीं है</u> अर्थात् दण्डादेश सीधे पारित एवं जारी किया जा सकता है.

3. यदि संबंधित अपचारी शासकीय सेवक की नियुक्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से हुई हो तो सर्वप्रथम विभागीय प्रस्ताव पर लोक सेवा आयोग का मत प्राप्त कर लिया जावे. विभागीय प्रस्ताव पर आयोग की सहमति की स्थिति में अंतिम दण्डादेश प्रशासकीय विभाग द्वारा पारित किये जा सकते हैं. यदि विभागीय प्रस्ताव पर आयोग सहमत नहीं होता तो प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रकरण समन्वय में मुख्य मंत्री जी को प्रस्तुत किया जाना चाहिये जिसमें आयोग से असहमति के आधार स्पष्ट दर्शाये जाने चाहिये. संबंधित शासकीय सेवक को दण्डादेश के साथ आयोग के मत की प्रति दी जाना चाहिये तथा आयोग से असहमति की स्थिति में उसके आधार भी दण्डादेश में दर्शाये जाना चाहिये.

4. प्रथम श्रेणी अधिकारियों के मामले में मध्यप्रदेश शासन के कामकाजी नियमों के भाग 4 नियम 10 के अधीन जारी किये गये निर्देश (छ) के अनुसार अंतिम दण्डादेश पारित करने के पूर्व समन्वय में मुख्य मंत्री जी के आदेश प्राप्त किये जावें.

5. यदि संबंधित शासकीय सेवक ने अपनी दोषसिद्धि के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय में "अपील" की है और अपीलीय न्यायालय ने दोषसिद्धि को "स्थगन" न देकर मात्र "सजा" को स्थगित किया है तो भी उक्तानुसार शास्ति अधिरोपित की जा सकती है.

6. संबंधित शासकीय सेवक को "दण्डादेश" पारित करने के साथ ही, राज्य प्रशासनिक अधिकरण में "केवियेट" भी दाखिल कर दिया जावे ताकि आरोपी शासकीय सेवक अधिकरण से "एकपक्षीय" स्थगन प्राप्त करने में सफल न हो. "अधिकरण" द्वारा "स्थगन" दिये जाने पर उच्च न्यायालय में "याचिका" दायर की जावे.

उक्त श्रेणी के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों में प्रस्तुत की जाने वाली टीप तथा अंतिम दण्डादेश का प्रारूप क्रमशः संलग्न परिशिष्ट क (1) तथा क (II) पर संलग्न है.

(ख) ऐसे सेवानिवृत्त शासकीय सेवक जिनके विरुद्ध विभागीय जांच प्रारम्भ नहीं की गई हो एवं जिन्हें आपराधिक प्रकरण में दंडित किया गया हो.

ऐसे सेवानिवृत्त शासकीय सेवक जिनके विरुद्ध विभागीय जांच प्रारम्भ नहीं की गई हो एवं जिन्हें आपराधिक प्रकरण में दण्डित किया गया हो उनकी पेंशन म. प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 9 के उप नियम (एक) के अन्तर्गत स्थाई रूप से रोकने के लिए शासन सक्षम है. ऐसे प्रकरणों में भी संबंधित शासकीय सेवक को पूर्व सूचना देना आवश्यक नहीं है. पेंशन रोकने संबंधी अंतिम आदेश मंत्रि-परिषद् द्वारा पारित किये जावेंगे. ऐसे शासकीय सेवकों, जिनकी नियुक्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से हुई है, के विषय में सर्वप्रथम आयोग का मत प्राप्त किया जावेगा. तत्पश्चात् आयोग के मत सहित प्रकरण मंत्रि-परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा.

उक्त श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों में प्रस्तुत की जाने वाली टीप तथा पेंशन रोकने संबंधी दण्डादेश का प्रारूप क्रमशः संलग्न परिशिष्ट ख-1, ख-2 पर है.

(ग) ऐसे शासकीय सेवक जिनके विरुद्ध विभागीय जांच अथवा आपराधिक प्रकरण लंबित हैं और जो सेवानिवृत्त हो गये हैं अथवा हो रहे हैं.

(i) ऐसे शासकीय सेवक जो सेवानिवृत्त हो गये हैं और उनकी पेंशन भी अंतिम रूप से स्वीकृत की जा चुकी है और उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण/विभागीय जांच लंबित है या बाद में संस्थापित होनी है तो म. प्र. सिविल सेवा पेंशन नियम, 1976 के नियम 9 (4) के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत महामहिम राज्यपाल अर्थात् मंत्रिपरिषद् आदेश द्वारा विभागीय जांच/न्यायिक कार्यवाही प्रारम्भ करने की तिथि से ऐसे शासकीय सेवक को स्वीकृत पेंशन में अस्थाई रूप से 50 प्रतिशत की कटौती की जा सकती है.

(ii) उक्त नियम 9 (4) के द्वितीय परन्तुक के "ए" के अनुसार यदि विभागीय कार्यवाही संस्थित होने के दिनांक से एक वर्ष में पूर्ण नहीं होती है तो उपर्युक्त एक वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् रोकी गई पेंशन का 50 प्रतिशत पुनस्थापित हो जायेगा.

(iii) इसी प्रकार नियम 9 (4) के द्वितीय परन्तुक के "बी" के अनुसार यदि विभागीय कार्यवाही संस्थित होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि में पूर्ण नहीं होती है तो उपर्युक्त दो वर्ष की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् रोकी गई पेंशन की पूर्ण राशि पुनर्स्थापित हो जायेगी. इसी द्वितीय परन्तुक के "सी" के अनुसार विभागीय जांच का अंतिम आदेश पेंशन रोकने का पारित होने पर आदेश विभागीय जांच प्रारम्भ होने की तिथि से प्रभावशील माना जावेगा.

(iv) लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त शासकीय सेवक के मामले में सर्वप्रथम "आयोग" का मत प्राप्त किया जायेगा तत्पश्चात् प्रकरण मंत्रिपरिषद् को प्रस्तुत किया जावेगा.

(v) उक्त श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों में प्रस्तुत की जाने वाली टीप, संबंधित शासकीय सेवक को दिये जाने वाले कारण बताओं नोटिस और अंतिम आदेश का प्रारूप क्रमशः संलग्न परिशिष्ट ग-1, ग-2, और ग-3 पर है.

3. कृपया आपराधिक प्रकरणों में दोषसिद्ध पाये गये शासकीय सेवकों के विरुद्ध उक्तानुसार कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जावे. साथ ही इन निर्देशों का कठोरता के साथ पालन किया जावे.

हस्ता/-

(एम. के. वर्मा)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्र. सी 6-2/98/3/1 भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 99

प्रतिलिपि :-

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर,
   सचिव, लोकायुक्त, संगठन, म. प्र. भोपाल,
   सचिव, म. प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर,
   महानिदेशक प्रशासन अकादमी, म. प्र. भोपाल.
2. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, म. प्र. भोपाल.
3. निज सचिव/निज सहायक/मुख्यमंत्री/उपमुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री, म. प्र. शासन.
4. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पदाधिकारी, म. प्र. भोपाल,
   सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म. प्र. भोपाल.
5. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, म. प्र. भोपाल.
6. रजिस्ट्रार, म. प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/भोपाल/इंदौर/ग्वालियर/रायपुर.
7. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, म. प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जबलपुर/खण्डपीठ इन्दौर/खण्डपीठ ग्वालियर.
8. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग.
9. अवर सचिव स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र. मंत्रालय.
10. श्री वीरेन्द्र खोंगल, अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल.
11. आयुक्त, जनसंपर्क, म. प्र. भोपाल.
12. सामान्य प्रशासन विभाग कर्मचारी कल्याण शाखा 15 की ओर 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित कर्मचारी संघों को भेजने हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-
(एम. के. वर्मा)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

परिशिष्ट "क-1"

विषय :—शासकीय सेवक को किसी न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध कर दंडित किए जाने पर विभाग द्वारा शासकीय सेवक को दीर्घ शास्ति प्रदान करने के लिए लिखी जाने वाली टीप का प्रारूप.

श्री ..... आत्मज श्री .... इस विभाग में ..... पद पर पदस्थ हैं (जो वर्तमान में निलंबित हैं एवं उनका मुख्यालय ..... हैं).

श्री ..... को ..... न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक ..... में निर्णय दिनांक ..... से आरोप प्रमाणित किए जाने पर धारा (अधिनियम) ..... के अंतर्गत दोषसिद्ध कर ..... अवधि के सश्रम/सामान्य कारावास एवं ..... रु. अर्थदंड से दंडित किया गया है जिसके निर्णय की प्रति, जो न्यायालय .....से प्राप्त हुई है जो पताका "क" पर उपलब्ध है. समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि श्री .....का कृत्य जिसके लिए उन्हें दोषसिद्ध माना है, उन्हें शासकीय सेवा में रहना अशोभनीय बना देता है. श्री ..... को न्यायालय द्वारा दिया गया दंडादेश गंभीर आरोप ..... के संबंध में हैं, जो तुच्छ प्रकृति का नहीं है, जिसके लिए आरोपी पर लघुशास्ति अधिरोपित की जा सके.

आरोप का उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 (1) (1) (3) के अंतर्गत कदाचरण का कृत्य है. न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में ..... के उपरोक्त कदाचरण के कृत्य के लिए अपचारी कर्मचारी श्री ..... पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम-10 में प्रावधानित दीर्घशास्ति अधिरोपित किया जाना उचित है. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम-19 सहपठित नियम-14 एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद-311 (2) (अ) के अंतर्गत अपचारी कर्मचारी के विरुद्ध विस्तृत विभागीय जांच आवश्यक नहीं है.

आपराधिक प्रकरण के निर्णय जिसमें अपचारी कर्मचारी को ..... वर्ष के सश्रम/सामान्य कारावास के दण्ड से दंडित किया गया है, जो गंभीर कदाचरण का कृत्य है, को देखते हुए अपचारी कर्मचारी श्री .... को उनकी सेवा से पदच्युत (डिसमिस) किया जाता है. आदेश की तामीली अपचारी कर्मचारी पर की जाए.

नियुक्तिकर्ता अधिकारी/विभाग प्रमुख.

टीप:—लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त व्यक्तियों के विषय में "विभागीय टीप" तथा "आदेश" में आयोग के मत का उल्लेख भी किया जावे.

परिशिष्ट "क-2"

सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय

(जिस विभाग से संबंध हो)

प्रति,

श्री ..... आत्मज .....

निवासी .....

पता .....

विषय :— ..... **न्यायालय द्वारा आप. प्रकरण क्रमांक . . . . . में प्रदत्त निर्णय दिनांक . . . . . जिसमें अपचारी कर्मचारी श्री ..... को धारा . . . . . के अंतर्गत दोषसिद्ध कर . . . . . वर्ष के सश्रम कारावास एवं . . . . . रु. अर्थदण्ड से दंडित किया गया है, के प्रकाश में अपचारी कर्मचारी को पदच्युत (डिसमिस) के दीर्घशास्ति से दंडित करने के संबंध में.**

आदेश

(1) यह कि आप ..... विभाग में ..... अधिकारी/कर्मचारी के पद पर पदस्थ हैं. आपको ..... न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक . . . . . निर्णय दिनांक . . . . . अधिनियम की धारा . . . . . के अंतर्गत अपराध प्रमाणित पाए जाने पर दोषसिद्ध कर ..... अवधि के सश्रम/सामान्य कारावास से एवं रु. . . . . के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है. समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि आपका कृत्य जिसके लिए आपको दोषसिद्ध माना है, आपका शासकीय सेवा में रहना अशोभनीय बना देता है. ऐसी स्थिति में आपका कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के उपनियम (1) एवं (3) के अंतर्गत कदाचरण की परिधि में आता है.

(2) यह कि उपरोक्त आपराधिक प्रकरण में आपके विरुद्ध प्रदत्त दोषसिद्धि एवं दंडादेश के निर्णय के प्रकाश में आपके कदाचरण के कृत्य को देखते हुए, राज्य शासन/विभाग ..... द्वारा विचारोपरान्त आपके विरुद्ध दीर्घशास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है.

(3) यह कि गंभीर कदाचरण के कृत्य के प्रकाश में आप पर पदच्युत (डिसमिस) का दीर्घशास्ति आदेश दिनांक . . . . . .से अधिरोपित की जाती है.

संलग्न :—आप. अपील क्र. . . . . के निर्णय दिनांक . . . . . .की प्रति.

भोपाल :
दिनांक . . . . . .

विभाग प्रमुख/नियुक्तिकर्ता अधिकारी के
हस्ताक्षर एवं मुद्रा.

परिशिष्ट ''ख-1''

सेवानिवृत्त शासकीय सेवक जिसके विरुद्ध विभागीय जांच प्रारंभ नहीं की गई एवं जिसे आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्धि पर दण्डित किया गया है को पेंशन रोकने के संबंध में.

श्री ..... आत्मज ..... पद का नाम .... दिनांक . . . . . से सेवानिवृत्त हो चुके हैं. उनके विरुद्ध ..... में धारा ..... के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण लंबित था जिसमें दिनांक . . . . . को उन्हें . . . . . अवधि के सश्रम/साधारण कारावास से दण्डित किया गया है.

श्री ..... पर आरोपित कृत्य जिसके लिये उन्हें दण्डित किया गया है, गंभीर आपराधिक कदाचरण का कृत्य है. यदि श्री ..... सेवा में रहते तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (ए) के अंतर्गत उनकी सेवाएं बिना किसी विभागीय जांच के समाप्त की जा सकती थीं. चूंकि श्री .... सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उन्हें शासन से पेंशन प्रदान की जा रही है. जबकि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 9 के उपनियम (1) के अंतर्गत ऐसी पेंशन को स्थायी रूप से रोकने के लिए शासन सक्षम है तथा इसी नियम के अंतर्गत ऐसे गंभीर कदाचरण के कृत्य को देखते हुए, शासकीय सेवक श्री ..... को प्रदान की जाने वाली पेंशन को स्थायी रूप से रोका जाना आवश्यक है. अतः नस्ती आदेश हेतु शासन को भेजी जावे.

हस्ताक्षर

शासन से नस्ती आदेश सहित प्राप्त. आदेश के पालन में शासकीय सेवक श्री .... को पेंशन स्थायी रूप से रोकने हेतु आदेश जारी किये जावें.

हस्ताक्षर

टीपः—

(1) मंत्रिपरिषद् द्वारा ही पेंशन रोकने के आदेश हो सकेंगे.

(2) लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त व्यक्तियों के विषय में ''विभागीय टीप'' तथा ''आदेश'' में ''आयोग'' के मत का उल्लेख होगा.

परिशिष्ट "ख-2"

आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्धि एवं दण्डादेश पश्चात् सेवा-निवृत्त शासकीय सेवकों की पेंशन रोकने के संबंध में आदेश का प्रारूप

मध्यप्रदेश शासन ..... विभाग

प्रति,

श्री ..... आत्मज .....

विभाग .....

पता .....

विषय :— आपराधिक प्रकरण क्र. ..... निर्णय दिनांक ..... में धारा ..... के अंतर्गत दोषसिद्ध कर दंडित किए जाने के प्रकाश में पेंशन रोकने हेतु.

आदेश

(1) यह कि आप ..... विभाग में शासकीय सेवा में कार्यरत थे और दिनांक ..... को सेवा-निवृत्त हुए हैं और मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के प्रावधानों के अंतर्गत आपको सेवानिवृत्त पश्चात् विभाग के आदेश क्रमांक .....से रुपए ..... मासिक पेंशन प्रदान किया जा रहा है.

(2) यह कि आपके सेवा नियोजन की अवधि में आपके विरुद्ध ..... न्यायालय में आपराधिक प्रकरण क्रमांक .... धारा .....के अंतर्गत स्थान ..... में लंबित थे, जिसमें दिनांक .....को न्यायालय द्वारा निर्णय प्रदान कर आपको धारा ..... के अंतर्गत दोषसिद्ध कर ..... अवधि के सश्रम/साधारण कारावास एवं ..... रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया गया है. यह कि जिसे कृत्य के संबंध में आपको दंडित किया गया है वह कृत्य गंभीर कदाचरण का है जिसके प्रकाश में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम-9 (1) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से आपकी पेंशन रोकी जाना आवश्यक है.

(3) यह कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 9 (1) के अंतर्गत शासन आपको देय पेंशन स्थायी रूप से रोकने के लिए सक्षम है.

अतः नियम-9 (1) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शासन द्वारा आपको देय पेंशन को स्थायी रूप से रोका जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

परिशिष्ट "ग-1"

विषय :— श्री ..... के विरुद्ध न्यायालय में ..... आपराधिक प्रकरण क्रमांक ..... अथवा विभागीय जांच लंबित होने पर पेंशन रोकने के संबंध में.

शासकीय कर्मचारी/अधिकारी श्री ..... जो ..... पद पर स्थान पर ..... पदस्थ थे, के विरुद्ध ..... न्यायालय में आपराधिक प्रकरण क्रमांक ..... अंतर्गत धारा ..... अधिनियम ..... .लंबित है (अथवा विभागीय जांच लंबित है) जिसमें उल्लिखित कृत्य गंभीर कदाचरण का कृत्य है.

श्री ..... दिनांक ..... को सेवा-निवृत्त हो चुके हैं तथा <u>उन्हें पेंशन भी स्वीकृत हो गई है.</u> उनके गंभीर कदाचरण के कृत्य को देखते हुए उनकी पेंशन में 50% की कटौती करना आवश्यक है. अत: पेंशन नियमों के नियम-9 (4) के प्रथम परंतुक के अंतर्गत प्रतिवेदन, राज्य शासन को प्रेषित की जाती है.

पेंशन को रोकने के लिए मुख्य बिन्दु

(1) किसी शासकीय सेवक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच अथवा सिविल अथवा आपराधिक न्यायिक प्रक्रिया (आपराधिक प्रकरण भी) लंबित होने, जिसमें आरोपी के विरुद्ध गंभीर कदाचरण का आरोप होने पर आरोपी की पेंशन अस्थायी रूप से विभागीय अथवा आपराधिक प्रकरण के निराकरण होने तक रोकने की कार्यवाही नियम-9, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1976 के अंतर्गत की जानी चाहिए.

(2) नियुक्ति लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर होने की स्थिति में लोक सेवा आयोग से सहमति ली जानी चाहिए.

(3) सेवानिवृत्ति के पूर्व विभागीय जांच प्रारंभ होना आवश्यक है और ऐसी जांच लंबित रहने पर नियम-9 (2) (ए) के अंतर्गत यह जांच बिना किसी अग्रिम अनुमति के जारी रखी जा सकती है.

(4) विभागीय जांच में पेंशन रोकने के लिए प्रावधान नियम-9 (2) (ए) में है. परंतुक के अंतर्गत प्रतिवेदन शासन/मंत्रिपरिषद् को भेजना आवश्यक है. जिनके द्वारा पेंशन रोकने के आदेश दिए जाएंगे.

(5) यदि विभागीय जांच सेवानिवृत्ति तक प्रारंभ नहीं होती है तो बिना महामहिम राज्यपाल अर्थात् मंत्रिपरिषद् की अनुमति के नियम-9(2) (बी) (1) के अंतर्गत प्रारंभ नहीं की जा सकती एवं उप नियम-(2) (बी) (2) के अंतर्गत घटना के 4 साल पश्चात् ऐसी जांच प्रारंभ भी नहीं की जा सकती.

(6) जांच लंबित होने पर अथवा अनुमति मिलने पर जांच नियमानुसार जारी रहेगी और जिसमें सेवा में रहने पर कर्मचारी की सेवा समाप्त की जा सकती हो ऐसे प्रकरणों कर्मचारी की पेंशन अथवा उसके भाग को स्थायी अथवा निश्चित अवधि के लिए रोका जा सकेगा इसी तरह यदि शासकीय धन की वसूली किसी कर्मचारी/अधिकारी से की जाना है तो ऐसी धन की वसूली उसकी पेंशन से की जा सकेगी जिसकी सीमा 1/3 पेंशन की राशि से अधिक नहीं होगी.

(7) नियम-4 के अंतर्गत ऐसे कर्मचारी के लिए अस्थायी (प्रोविजनल) पेंशन और मृत्यु सह उपादान स्वीकृत की जा सकती है.

(8) <u>यदि ऐसे कर्मचारी के पेंशन स्वीकृत हो चुकी है तो उप नियम (4) के प्रथम परंतुक के अंतर्गत महामहिम राज्यपाल अर्थात् मंत्रिपरिषद् द्वारा विभागीय जांच प्रारंभ करने की तिथि से स्वीकृत पेंशन की 50% तक की राशि रोकने के आदेश दिए जा सकेंगे.</u>

(9) इसी नियम के द्वितीय परंतुक "ए" के अनुसार यदि विभागीय जांच प्रारंभ होने के एक वर्ष के भीतर पूरी नहीं होती है तो रोकी गई पेंशन का 50% पुनः स्थापित हो जाता है.

विषय :— श्री ..... के विरुद्ध न्यायालय में .....
..... आपराधिक प्रकरण क्र. ..... लंबित होने के प्रकाश में विभागीय जांच एवं पेंशन रोकने के संबंध में.

और "बी" के अनुसार दो वर्ष में 100% पेंशन पुनः स्थापित हो जाती है. "सी" के अनुसार विभागीय जांच में अंतिम आदेश पेंशन रोकने का पारित होने पर आदेश विभागीय जांच प्रारंभ होने की तिथि से प्रभावशील माना जाए.

टीपः—लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त व्यक्तियों के विषय में "विभागीय टीप" एवं "आदेश" में "आयोग" के मत का भी उल्लेख होगा.

परिशिष्ट ''ग-2''

विषय :— अस्थायी रूप से पेंशन रोकने हेतु कारण बताओ सूचना [मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) अधिनियम, 1976 के नियम-9 के अंतर्गत].

प्रति,

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

(1) यह कि आप ..... विभाग में ..... के पद पर ..... स्थान पर पदस्थ थे. आपके विरुद्ध ..... न्यायालय में आपराधिक प्रकरण क्रमांक . . . . . .धारा . . . . . अधिनियम . . . . . के अंतर्गत (अथवा विभागीय जांच लंबित है) जिसमें उल्लिखित कृत्य गंभीर कदाचरण का है.

(2) यह कि इसके पूर्व आप दिनांक . . . . . से शासकीय सेवा से अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर अथवा अन्यथा सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा आपको पेंशन रु. . . . . स्वीकृत हो चुकी है.

(3) यह कि आपके विरुद्ध लंबित गंभीर कदाचरण के आपराधिक प्रकरण/विभागीय जांच प्रकरण को देखते हुए, आपको स्वीकृत पेंशन राशि में से 50% की कटौती मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेज (पेंशन) नियम, 1976 के नियम-9 (4) के प्रथम परंतुक के प्रावधानों के अंतर्गत अस्थाई रूप से करना उचित एवं युक्तिसंगत प्रतीत होता है.

अतः सूचना प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर आप लिखित कारण बताएं कि आपकी स्वीकृत पेंशन की राशि में से अस्थायी रूप से 50% की कटौती क्यों न की जाए.

भोपाल :
दिनांक . . . . . .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

परिशिष्ट ''ग-3''

विषय :— अस्थायी रूप से, विभागीय अथवा आपराधिक प्रकरण के निराकरण होने तक पेंशन की राशि में कटौती करना.

प्रति,

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

(1) यह कि आप मध्यप्रदेश शासन के अधीन ..... के पद पर .... स्थान पर शासकीय सेवा में पदस्थ थे.

(2) यह कि आपके विरुद्ध ..... न्यायालय में आपराधिक प्रकरण क्रमांक . . . . . के अंतर्गत धारा . . . . . .अधिनियम . . . . . के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है. (अथवा विभागीय जांच लंबित है) जिसमें उल्लिखित कृत्य गंभीर कदाचरण का है.

(3) यह कि इसके पूर्व आप दिनांक . . . . . से अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करके अथवा अन्यथा दिनांक . . . . . से सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा आपको रु. . . . . माहवार पेंशन की राशि भी स्वीकृत हो चुकी है.

(4) यह कि आपके विरुद्ध उक्त गंभीर कदाचरण के संबंध में लंबित आपराधिक प्रकरण (अथवा विभागीय जांच) के निराकरण होने तक, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम-9(4) के प्रथम परंतुक के प्रावधानों के अंतर्गत उक्त देय पेंशन की राशि में से 50% राशि की कटौती करना विचारणीय है. इस संबंध में सूचना-पत्र दिनांक . . . . . भी दिया गया. उक्त सूचना पत्र के संबंध में आपके द्वारा दिए गए लिखित उत्तर (यदि कोई हो तो) तथा अन्य तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार के उपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आपको देय उक्त पेंशन की राशि में से 50% राशि की कटौती आगामी आदेश होने तक की जाए. तद्नुसार आपको देय पेंशन की राशि में से 50% की कटौती एतद्द्वारा की जाती है.

भोपाल :
दिनांक . . . . . .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,